मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२५

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ११ में, उपधारा (२) में, शब्द "किसी सप्ताह में छह घंटे" के स्थान पर, शब्द "किसी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे" स्थापित किए जाएं.

धारा १६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (२) में, शब्द "किसी सप्ताह में छह घंटे" के स्थान पर, शब्द "किसी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे" स्थापित किए जाएं.

धारा २१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (२) में, शब्द "किसी सप्ताह में छह घंटे" के स्थान पर, शब्द "किसी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अर्थव्यवस्था की परिवर्तित होती आवश्यकताओं के साथ गति को बनाए रखने हेतु, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) के सुसंगत उपबंधों में अतिकालिक कार्य के घंटों की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है.

२. प्रस्तावित संसोधनों का उद्देश्य उपयुक्त उपबंध बनाए जाना है जो वैश्विक कार्य परिवेश में कर्मचारियों के कल्याण तथा प्रतिस्पर्धा पर बल देते हुए, अतिकालिक कार्य के घंटों से संबंधित विषयों को और लचीला बनाता हो. अतएव, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ की धारा ११, १६ तथा २१ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ३१ जुलाई, २०२५.

प्रहलाद सिंह पटेल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) से उद्धरण.

* * * *

धारा– ११ दुकानों एवं वाणिज्य स्थापनाओं के कार्य के घण्टे-

(१) (क) किसी भी दुकान या वाणिज्य स्थापना के किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक कार्य करने के लिए न तो अपेक्षित किया जाएगा न उसे उसके लिए अनुज्ञा दी जाएगी.

(ख) खण्ड (क) के अधीन रहते हुए, किसी भी कर्मचारी को:-

(एक) किसी भी दुकान में, किसी भी दिन ९ घंटे से अधिक,

(दो) किसी भी वाणिज्यिक स्थापना में, किसी भी दिन १० घंटे से अधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा.

(२) कोई भी कर्मचारी किसी भी दुकान या वाणिज्य स्थापना में उपधारा (१) के अधीन निश्चित सीमा से अधिक किसी भी काल के लिए कार्य करने के हेतु अपेक्षित किया जा सकेगा या उसे अनुज्ञा दी जा सकेगी, यदि ऐसा काल किसी सप्ताह में [छह] घण्टे से अधिक न हो.

(३) वर्ष में अधिक से अधिक ऐसे छः दिन के लिए, जिन्हें कि सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा लेखे तैयार करने, स्टाक मिलान निबटान या अन्य विहित अवसरों के प्रयोजनों के लिए निश्चित करे, किसी भी कर्मचारी को उपधारा (१) के अधीन निश्चित अवधि से अधिक अवधि तक दुकान या वाणिज्यिक स्थापन में कार्य करने हेतु अपेक्षा या उसे अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि ऐसी अतिरिक्त अवधि २४ घंटे से अधिक की ना हो.

* * * *

धारा- १६ निवासयुक्त होटलों, उपाहार-गृहों तथा भोजन-गृहों में कार्य के घण्टे -

(१) किसी कर्मचारी को किसी निवासयुक्त होटल, उपाहार-गृह या भोजन-गृह में एक सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक और एक दिन में नौ घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(२) किसी कर्मचारी को किसी निवासयुक्त होटल या उपाहार-गृह या भोजन-गृह में, उस सीमा से, जो उपधारा (१) के अधीन नियत की गई है, अधिक की किसी कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि ऐसी अतिरिक्त कालावधि किसी सप्ताह में छः घण्टे से अधिक की न होती हो.

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को किसी निवासयुक्त होटल, उपाहार-गृह या भोजन-गृह में उस दिन, जो धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचित किया जाए, उस कालावधि से, जो उपधारा (१) के अधीन नियत की गई है, अधिक कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि अतिरिक्त कालावधि किसी दिन तीन घण्टे से अधिक की न होती हो.

* * * *

धारा- २१ नाट्यशालाओं या सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थानों में कार्य के घण्टे -

(१) किसी कर्मचारी को किसी नाट्यशाला या सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थान में एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक और एक दिन में नौ घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(२) किसी कर्मचारी की किसी नाट्यशाला या सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थान में, उस सीमा से जो उपधारा (१) के अधीन नियत की गई है, अधिक की किसी कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि ऐसी अतिरिक्त कालावधि किसी सप्ताह में छः घण्टे से अधिक की न होती हो.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.